

सूचना अधिकार अधिनियम –2005 के अध्याय –2
की धारा–4(1)ख(15)

मैनुअल संख्या – 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे समिलित हैं।

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

अ. पुस्तकालय

ब. अखबारों के द्वारा

स. सूचना पटल

द. अभिलेखों का निरीक्षण

य. दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था

र. लोक प्राधिकारी के वेबसाईट

ल. दिनांक 22.03.2006 को एक शासनादेश हुआ उसके अनुसार ऊर्जा विभाग में तथा समर्त अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी रूपर तक सूविधा केन्द्र की स्थापना कर दी गयी है, जिसमें सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4.1(ख) के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर मैनुअल (स्वप्रगटन) बनाकर जनता की सुविधा हेतु उपलब्ध रहेंगे।